राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6 ( )2022 / कार्मिक–विविध / प्रमुवसं–01283 - 1066-1181 दिनांक - 08/10/24

निमित्त,

समस्त वन अधिकारीगण।

विषय :– वनरक्षक भर्ती 2011 एवं 2013 में चयनित लोक सेवकों के सातवें वेतन आयोग में किए गए फिक्सेशन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ द्वारा पत्रांक स्पे–1 दिनांक 24.07.2024 के बिन्दु संख्या 8 में अवगत कराया गया है कि वनरक्षक भर्ती 2011 एवं 2013 में चयनित लोक सेवकों के सातवें वेतन आयोग में किए गए फिक्सेशन में अलग–अलग जिलों में अलग–अलग राशि होने से फिक्सेशन में समानता नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 6 (54)97 / कार्मिक–विविध / प्रमुवसं / पार्ट–IV / 2845–955 दिनांक 25.06.2020 द्वारा वन रक्षकों की दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए थे।

अतः वनरक्षक भर्ती 2011 एवं 2013 में चयनित लोक सेवकों के सातवें वेतन आयोग में किए गए फिक्सेशन का परीक्षण आपके कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी से करवाकर प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही संपादित कर इस कार्यालय को सात दिवस में अवगत करावें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

O/C (सुपोंग शशी)
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6 ( )2022 / कार्मिक–विविध / प्रमुवसं–01283-1182-84 दिनांक - 08/10/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर प्रकाशन हेतु।
2. अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ को भेजकर लेख है कि दिनांक 08.10.2024 को दूरभाष पर वार्ता के क्रम में वांछित सूचना उपलब्ध करावे।
3. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
O/C राजस्थान, जयपुर

309

यू.ओ.नोट

विषयः–7वे पे कमीशन की फिक्सेसन राशि में भिन्नता के सम्बन्ध में।
सदर्भः–आपका यू.ओ.नोट क्रमांक एफ 6(54) 97/कार्मिक/प्रमुवसं/पार्ट–IV 7566 दिनांक 18.12.2019

उपर्युक्त विषयोन्तर्गत संदर्भित यू.ओ.नोट के क्रम में वन रक्षको (Forest Guard) की दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पूरी होने पर वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगाः–

Entry Pay in the Running Pay Bands and Grade Pays for Direct Recruits Appointed on or after 01.01.2006 on Satisfactory Completion of Probation Period

Forest Guard PB-1 (5200-20200)															
According to finance department (Rule division) Notification															
No. F 14 (1) FD (Rules) /2013 Jaipur Dated 30.10.2017								No. F 14 (38) FD/Rules /2008 Jaipur Dated 02.07.2015				No. F 15 (1) FD/Rules /2017 Jaipur Dated 30.10.2017 राज सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण			
(Prior to 01-07-2013)				(w.e.f. 01-07-2013)				(w.e.f. from 02-07-2015)				(w.e.f. from 01-01-2016)			
Grade Pay No.	Grade	Pay in Running Pay Band	Basic Pay for Direct Recruits	Grade Pay No.	Revised Grade Pay	Pay in Running Pay Band	Basic Pay for Direct Recruits	Grade Pay No.	Revised Grade Pay	Pay in Running Pay Band	Basic Pay for Direct Recruits	Grade Pay No.	Grade Pay	level in Pay Matrix	Basic Pay for Direct Recruits
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1800	5200	7000	4	1900	5200	7100	5	2000	5200	7200	5	2000	L-4	19200

यदि किन्ही प्रकरणों में अधिक भुगतान हुआ हो तो वित्त विभाग के नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें। उक्तानुसार आदेश/आवश्यक दिशा निर्देश प्रशासन के स्तर से जारी किये जाने है।

DCF (HG)

(हुलास राय पवार)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

मुख्य वन सरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक एफ 17( ) लेखा/विविध/प्रमुवस/2015–16/ 8046
दिनांक 8.1.20

D:User/Current Document / Fixation

received on 15.1.2020